

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 213 /3क(2)/अनि.स्था./2023-24/दिनांक 26/06/2023

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 01/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, एवं शासनादेश संख्या 1613/XXIV-B-1/21-02(01)/2020/दिनांक 23 जुलाई 2021 द्वारा निर्गत निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 17 (1)(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-10 में उनके नाम के सम्मुख अंकित सुगम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है।

शाखा-महिला										
क्र. सं.	अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	कुल दुर्गम की सेवा अवधि			स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
						वर्ष	माह	दिन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	संगीता नेगी	अंग्रेजी	रा0क0इ0का0 थलनदी	यमकेश्वर,	पौड़ी	21	1	28	रा0बा0इ0का0 कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	अर्चना सतीश	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 कोटीकनासर	चकराता	देहरादून	19	6	15	रा0बा0इ0का0 पौड़ी, पौड़ी	फलित रिक्त पद के प्रति
3	मुन्नी रावत	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 कैथोली	जाखणीधार	टिहरी	19	2	1	रा0बा0इ0का0 चम्बा (चम्बा), टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	आस्था जैन	गणित	रा0बा0इ0का0 हरिपुर कालसी	कालसी	देहरादून	18	0	6	रा0क0उ0मा0वि0 दक्ष रोड, कनखल, बहादुराबाद, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	गुंजन वर्मा	हिन्दी	रा0क0उ0मा0वि0 थान	जौनपुर	टिहरी	17	10	15	रा0क0उ0मा0वि0 नई टिहरी, चम्बा, टिहरी	फलित रिक्त पद के प्रति
6	अजंली बडोनी	कला	रा0बा0इ0का0 घनसाली,	भिलंगना	टिहरी	17	8	18	रा0बा0इ0का0 कारगी ग्राण्ट, रायपुर, देहरादून।	फलित रिक्त पद के प्रति
7	कुसुम रावत	सामाजिक विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 बासिंजाना,	द्वारीखाल	पौड़ी	17	8	10	रा0बा0इ0का0 घमण्डपुर, दुगड्डा, पौड़ी,	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	रेखा नेगी	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 नैग्वाड गोपेश्वर	दशोली	चमोली	17	8	1	रा0बा0इ0का0 गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	सुनीता नेगी	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 नारायणबगड़ चमोली	नारायणबगड़	चमोली	17	7	28	रा0क0उ0मा0वि0 स्रेत रुडकी, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	लीना	कला	रा.बा.इ.का.बडकोट	नौगांव	उत्तरकाशी	17	7	26	रा0बा0इ0का0 ज्वालापुर, बहादुराबाद, हरिद्वार।	फलित रिक्त पद के प्रति
11	रश्मि डबराल	गणित	रा0बा0इ0का0 डुण्डा	डुण्डा	उत्तरकाशी	17	7	26	रा0बा0इ0का0 ज्वालापुर, बहादुराबाद, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	पुष्पा पठोई	कला	रा0बा0इ0का0 थत्यूड	जौनपुर	टिहरी	17	7	22	रा0बा0इ0का0 कर्णप्रयाग, चमोली।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
13	मंजू सिंह	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 चिन्यालीसौड	चिन्यालीसौड	उत्तरकाशी	17	7	22	रा0क0उ0मा0वि0 चन्द्रपुरी,रुडकी, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


14	लीला चन्पाल	हिन्दी	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरी	नैनीडाडा	पौडी	17	7	14	रा0या0इ0का0 लालपानी, दुगड्डा, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
15	शशि सकलानी	सामाजिक विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 बमणगांव	नरेन्द्रनगर	टिहरी	17	6	26	रा0या0इ0का0 रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून	फलित रिक्त पद के प्रति
16	सुमन जैन	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 पुरोला	पुरोला	उत्तरकाशी	17	4	29	रा0क0उ0मा0वि0 शिवराजपुर, दुगड्डा, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
17	महिपाल सिंह नेगी	गणित	रा0बा0इ0का0 नारायणबगड	नारायणबगड	चमोली	17	4	29	रा0या0इ0का0 अगरस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
18	शोभा डबराल	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग	17	3	9	रा0क0उ0मा0वि0 चन्द्रपुरी, रुडकी, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
19	हेमलता देवराड़ी	सामाजिक विज्ञान	रा.बा.इ.का. थराली,	थराली	चमोली	17	1	22	रा0या0इ0का0 नरेन्द्रनगर, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
20	शोभा बर्त्वाल	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 कोटसाडा	कोट	पौडी	17	0	27	रा0बा0इ0का0 पौडी, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
21	विनेश	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 लखनौता	नारसन	हरिद्वार	17	0	22	रा0या0इ0का0 अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
22	रविन्द्रा रावत बिष्ट	विज्ञान	रा0इ0का0 गंगाऊँ	थलीसेण	पौडी	16	8	30	रा0बा0इ0का0 राजपुर रोड, रायपुर, देहरादून।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
23	रजनी हटवाल	कला	रा0बा0इ0का0पाबौ	पाबौ	पौडी	16	2	6	रा0क0उ0मा0वि0 शिवराजपुर, दुगड्डा, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
24	बिमला पन्त	गृह विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 थान	जौनपुर	टिहरी	16	1	26	रा0बा0इ0का0 बौराडी, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
25	आमा थपलियाल	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 सहिया	कालसी	देहरादून	15	10	8	रा0बा0इ0का0 कोटद्वार, दुगड्डा, पौडी	फलित रिक्त पद के प्रति
26	कल्पना सन्दीप चौहान	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 भटवाडी	भटवाडी	उत्तरकाशी	15	8	0	रा0क0उ0मा0वि0 लण्डौरा, नारसन, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
27	लक्ष्मी नेगी	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 गोपेश्वर	दशोली	चमोली	15	7	28	रा0क0उ0मा0वि0 नई टिहरी, चम्बा, टिहरी	फलित रिक्त पद के प्रति
28	प्रमिला परमार	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 डुण्डा	डुण्डा	उत्तरकाशी	15	7	23	रा0बा0इ0का0 दुगड्डा, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
29	अनीता नेगी	कला	रा0इ0का0 सुमाडी,	खिरसू	पौडी	15	7	10	रा0बा0इ0का0 श्रीनगर, खिरसू, पौडी	फलित रिक्त पद के प्रति
30	सीमा गैरोला	कला	रा.क.उ.मा.वि. धारकोट	कीर्तिनगर	टिहरी	15	7	1	रा0बा0इ0का0 चम्बा (चम्बा), टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
31	अमिता असवाल	व्यायाम	रा0बा0इ0का0 नारायणबगड	नारायणबगड	चमोली	15	6	20	रा0बा0इ0का0 रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

32	अरुणा तोमर	सामाजिक विज्ञान	रा.बा.उ.मा.वि. गडोली	नौगांव	उत्तरकाशी	15	6	17	रा0क0उ0मा0वि0 दक्ष रोड, कनखल, बहादुराबाद, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
33	मीनाक्षी	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 लैन्सडौन	जयहरीखाल	पौडी	15	5	1	रा0बा0इ0का0 लक्ष्मीबाग, रायपुर, देहरादून।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
34	पिंकी नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 धनसाली,	भिलंगना	टिहरी	15	2	12	रा0बा0इ0का0 सघीपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
35	सुनीता	व्यायाम	रा0बा0इ0का0 बीरोंखाल	बीरोंखाल	पौडी	15	0	13	रा0क0उ0मा0वि0 चन्दपुरी, रुड़की, हरिद्वार।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
36	निधि अखिलेश	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 पैडुल	पौडी	पौडी	14	10	25	रा0बा0इ0का0 राजपुर रोड़, रायपुर, देहरादून।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
37	मालती नेगी	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 दिखोली	डुण्डा	उत्तरकाशी	14	3	29	रा0बा0इ0का0 ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून।	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
38	सुनीता देवी	सामाजिक विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 कोटसाडा	कोट	पौडी	13	11	26	रा0बा0इ0का0 देवप्रयाग, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश में सामान्य संवर्ग से महिला संवर्ग में स्थानान्तरित अध्यापिकाओं का मूल संवर्ग महिला होने के नोट कारण अनिवार्य स्थानान्तरण महिला संवर्ग में किया गया है।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित अध्यापिका को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं वर्तमान विद्यालय से कार्यभार मुक्त न होने की दशा में माह जून का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। वेतन आहरित करने पर संस्थाध्यक्ष के विरुद्ध भी अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey Time)' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिवसों तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (6) उक्तांकित सूची में किसी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिका का अनिवार्य स्थानान्तरण यदि टंकणीय त्रुटि से हो जाता है तो शासनादेशानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष कदापि सम्बन्धित शिक्षक को कार्यमुक्त न करें एवं किसी अध्यापिका का अनिवार्य स्थानान्तरण अटल उत्कृष्ट विद्यालय में होता है तो उसे कदापि कार्यभार ग्रहण न कराये तथा तत्काल उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (7) यदि उक्त स्थानान्तरणों में दो अध्यापिकाओं को एक ही विद्यालय में किसी एक ही विषय की रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी अध्यापक को कार्यभार ग्रहण न कराये तथा तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराये ताकि नियमानुसार सुधार किया जा सके।
- (8) यदि उक्त स्थानान्तरणों में किसी अध्यापिका का स्थानान्तरण मूल नियुक्ति संवर्ग के अतिरिक्त असंगत संवर्ग में हो तो ऐसी स्थिति में प्रमाणिक अभिलेखों सहित सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष तत्काल सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराये व किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण न कराये।
- (9) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना ई-पोर्टल में अंकित सूचना से भिन्न होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष/नियंत्रक इकाई (खण्ड शिक्षा अधिकारी) की होगी।

  
 (महावीर सिंह बिष्ट)  
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)  
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।